रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D-(D)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 508] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 1980/कार्तिक 14, 1902
No. 508] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 1980/KARTIKA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1980

का. आ. 878(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ छियालीसवां संशोधन) नियम, 1980 है ।

(2) वे तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा), की प्रथम अनुसूची में,—

(क) प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि "26. इलेक्ट्रानिकी विभाग" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"26क. पर्यावरण विभाग" ;

(ख) दूसरी अनुसूची में,

(1) शीर्षक "इलेक्ट्रानिकी विभाग" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"पर्यावरण विभाग

1. पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान

2. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण

3. भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण" ;

(2) शीर्षक "विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग" के अन्तर्गत, निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :—

"5. वातावरण और परिस्थिति विज्ञान

9. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण

10. भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण" ।

नीलम संजीव रेड्डी,
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/3/80-मंत्रि.]

के. महगल, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1980

S.O. 878(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and forty-sixth Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(a) in the First Schedule, after the entry "26. DEPARTMENT OF ELECTRONICS (ELECTRONIKI VIBHAG)", the following entry shall be inserted, namely :—

"26A. DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (PARYAVARAN VIBHAG)";

(b) in the Second Schedule,—

(i) after the heading "DEPARTMENT OF ELECTRONICS (ELECTRONIKI VIBHAG)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (PARYAVARAN VIBHAG)

1. Environment and Ecology

2. Botanical Survey of India

3. Zoological Survey of India";

(ii) under the heading "DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRODYOGIKI VIBHAG)", the following serial numbers and entries shall be omitted, namely :—

"5. Environment and Ecology

9. Botanical Survey of India

10. Zoological Survey of India".

NEELAM SANJIVA REDDY,
President

[No. 74/2/3/80-Cab.]
K. SAIGAL, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980